



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in  
☎ : कार्या- (0756) 2551650, 2761667 फैक्स - (0755) 2552061

डी.एल.एड प्रथम/द्वितीय  
वर्ष नियमित

क्रमांक/259 /परीक्षा समन्वय/2017

भोपाल दिनांक 11 /04/2017

// आदेश //

मण्डल द्वारा संचालित सत्र 2016-17 की प्रारंभिक शिक्षा में पत्रोपाधि पाठ्यक्रम (D.El.Ed.) नियमित परीक्षा प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र एम पी ऑनलाईन के कियोस्क अथवा पोर्टल के माध्यम से दिनांक 20.04.2017 से 15.05.2017 तक भर सकेंगे।

नियमित प्रथम/द्वितीय वर्ष के परीक्षार्थी के परीक्षा आवेदन पत्र भरने के निर्देश -

- (1) प्रत्येक संस्था उन्हें मण्डल द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराए गए User Id का उपयोग करेगी। इस User Id से कियोस्क/पोर्टल पर लॉगिन करने पर रीसेट पासवर्ड लिंक उपलब्ध होगी। इस लिंक के माध्यम से संस्था नवीन पासवर्ड जनरेट कर सकेगी। इस नवीन पासवर्ड के उपयोग से ही संस्था छात्र को प्रवेश आवेदन के समय आवंटित ID के आधार पर परीक्षा आवेदन-पत्र भर सकेगी। संस्था प्राचार्य पासवर्ड की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। प्रविष्टी उपरांत प्रत्येक आवेदन का प्रिन्ट आउट सादे कागज पर कियोस्क से प्राप्त करेंगे। परीक्षा आवेदन-पत्र में समस्त प्रविष्टियाँ एवं छायाचित्र प्रवेश आवेदन-पत्र के समय भरे गये विवरण अनुसार स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। केवल परीक्षार्थीवार विषयों का चयन एवं शुल्क का भुगतान करने का परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा होगा।
- (2) प्रारंभिक शिक्षा में पत्रोपाधि पाठ्यक्रम (D.El.Ed.) 2017 में नियमित प्रथम वर्ष की परीक्षा हेतु NCTE से मान्यता तथा मण्डल से संबद्धता प्राप्त संस्थान के वे ही छात्र आवेदन कर सकेंगे जिनको संस्थानों द्वारा शासन से जारी प्रवेश नियमों के अन्तर्गत प्रवेश दिया गया है, तथा जिनके द्वारा पाठ्यक्रम हेतु NCTE निर्धारित शैक्षणिक दिवसों एवं शिक्षण अभ्यास कार्यक्रम विधिवत पूर्ण किया है। ऐसे छात्रों के परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाईन प्रवेश के समय आवंटित प्रवेश ID के आधार पर कियोस्क के माध्यम से भरे जा सकेंगे।  
अन्य राज्यों/अन्य मण्डलों से हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण, D.El.Ed. प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्रों के ऑनलाईन परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय ग्राह्यता दस्तावेजों (हायर सेकेण्डरी स्वाध्यायी नियमित उत्तीर्ण होने की स्थिति में अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची एवं प्रवजन (माइग्रेसन) प्रमाण पत्र तथा हायर सेकेण्डरी नियमित उत्तीर्ण होने की स्थिति में अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची, अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण प्रतिदस्ताक्षरित ट्रांसफर सर्टिफिकेट एवं प्रवजन (माइग्रेसन) प्रमाण पत्र) की स्व प्रमाणित प्रति अपलोड की जाना आवश्यक होगा।
- (3) डी.एल.एड परीक्षा नियमित द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से उन छात्रों के भरे जा सकेंगे जिन्होंने प्रथम वर्ष की परीक्षा शैक्षणिक सत्र 2015-16 में निर्धारित अवसरों में परीक्षा उत्तीर्ण की गई हो। ऐसे परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र प्रथम वर्ष के अनुक्रमांक की प्रविष्टि करने पर पूर्ण डाटा आनलाइन के पोर्टल पर प्रदर्शित होगा, केवल छात्र के पाठ्यक्रम अनुसार विषयों की प्रविष्टि कर शुल्क का पेड किया जाना है।
- (4) समस्त (D.El.Ed.) आवेदन पत्रों की प्रविष्टी उपरांत संस्था प्राचार्य कियोस्क से शुल्क एवं आवेदनों की पावती प्राप्त करें। आवेदन के साथ पात्रता संबंधी अभिलेख एवं ग्राह्यता प्रकरणों में आवेदन पत्र के साथ स्व प्रमाणित दस्तावेजों के साथ मूल दस्तावेज दिनांक 20.05.2017 तक संबंधित संभागीय कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। संभागीय अधिकारी अन्य राज्यों/अन्य मण्डलों के छात्रों के प्राप्त डाक्यूमेंट की स्क्रुटिनी कर अपात्र छात्रों की सूची दिनांक 10.08.2017 तक मुख्यालय को प्रस्तुत करेंगे।
- (5) प्रारंभिक शिक्षा में पत्रोपाधि पाठ्यक्रम (D.El.Ed.) प्रथम वर्ष के नियमित के समस्त छात्रों को मण्डल से नामांकन कराया जाना अनिवार्य होगा। छात्र का परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन भरते समय छात्रों की परीक्षा शुल्क के साथ नामांकन की शुल्क ₹150/- रुपये भी जमा करेंगे। छात्रों को नामांकन हेतु पृथक से नामांकन कार्ड प्रदाय नहीं किये जाएंगे। नामांकन क्रमांक अंकसूची में निर्धारित स्थान में प्रविष्टि कर प्रदाय की जावेगी। संभागीय कार्यालय पृथक से नामांकन जारी नहीं करेंगे।
- (6) संस्था प्रमुख सुनिश्चित करेंगे कि नियमित प्रशिक्षार्थियों की उपस्थिति 75 प्रतिशत होना अनिवार्य है, 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले परीक्षार्थियों को आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी। फार्म में छात्र की उपस्थिति का प्रतिशत भी अंकित किया जाएगा। इस विषय में मण्डल विनियम में उल्लेखित कण्डिका 203, 208, 209 एवं 210 के अनुसार नियमित छात्रों की उपस्थिति विषयक प्रावधान लागू होंगे।

+

R3

- (7) संबद्धता प्राप्त शासकीय एवं अशासकीय डी एड संस्थान के नियमित परीक्षार्थी आवेदन पत्र एम पी ऑनलाईन के कियोस्क के माध्यम से संस्था प्राचार्य द्वारा स्वयं प्रविष्ट कराये जायें किसी भी स्थिति में छात्र को कियोस्क पर नहीं भेजा जाए।
- (8) छात्रों को मण्डल के संशोधित आदेश क्रमांक 687-688 दिनांक 17.12.2012 द्वारा डी.एल.एड. की परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु निरन्तर दो ही अवसर प्रदान किये जावेंगे।


### पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र

प्रारंभिक शिक्षा में पत्रोपाधि पाठ्यक्रम (D.El.Ed.) प्रथम वर्ष नियमित हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने के समय निम्न डाक्युमेंट जमा करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था प्राचार्य/प्रमुख एवं छात्र का होगा। आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा न होने की स्थिति में परीक्षा आवेदन पत्र मान्य नहीं किया जावेगा। संबंधित छात्र संस्था में उपस्थित होकर, संस्था द्वारा भरे गये फार्म में अंकित जानकारी एवं संलग्न पात्रता दस्तावेज की पुष्टि स्वयं करें कि संस्था द्वारा परीक्षा फार्म में भरी जानकारी व संलग्न दस्तावेज पूर्ण है।

1. माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल अथवा समकक्ष बोर्ड से हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी (+2) परीक्षा उत्तीर्ण की अंक सूची की सत्यापित प्रति।
2. राज्य के बाहर/अन्य बोर्ड के परीक्षार्थी द्वारा अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची, प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांसफर सर्टिफिकेट एवं प्रवचन (माइग्रेसन) प्रमाण-पत्र।

प्रारंभिक शिक्षा में पत्रोपाधि पाठ्यक्रम (D.El.Ed.) परीक्षा (प्रथम/द्वितीय वर्ष) की शुल्क का विवरण		
क्र	विवरण	राशि
1	परीक्षा शुल्क	₹1850/-
2	नामांकन शुल्क	₹150/-
3	ग्राह्यता शुल्क (केवल अन्य राज्य/अन्य बोर्ड से आये छात्रों हेतु)	₹300/-


एम पी ऑनलाईन के सेवा केन्द्र संचालक को शुल्क ₹ 25/- रुपये पृथक से देय होगा।

  
 सचिव  
 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्य प्रदेश,  
 भोपाल  
 भोपाल दिनांक: 11/04/2017

पृष्ठांकन क्रमांक / 260 / परीक्षा समन्वय / 2017

प्रतिलिपि-

1. नि.स. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्य प्रदेश।
  2. अपर मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
  3. नि.स. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्य प्रदेश।
  4. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, पुस्तक भवन, बी-विंग अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
  5. आयुक्त आदिवासी विकास सतलुडा भवन मध्य प्रदेश भोपाल।
  6. समस्त जिला कलेक्टर मध्य प्रदेश।
  7. समस्त संयुक्त संचालक स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश।
  8. समस्त, जिला शिक्षा अधिकारी, मध्य प्रदेश।
  9. आंचलिक/समस्त संभागीय अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्य प्रदेश।
  10. समस्त, प्राचार्य, शासकीय/अशासकीय डी एड संस्थान मध्य प्रदेश की ओर भेजकर लिखा जाता है कि परीक्षा फार्म भरने के निर्देश विद्यालय में छात्रों की जानकारी हेतु सूचना पटल पर भी चस्पा करावें।
  11. सी एस ओ/पंजीयक-डाटा परीक्षा/जनसम्पर्क अधि/विधि सहा./स.स./क.अ.-गोपनीय, परीक्षा, डी.एड.सेल।
  12. नि.स-सचिव, अतिरिक्त सचिव, उपसचिव, परीक्षा, नियंत्रक, लोक सूचना अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल।
  13. संचालक, एम पी ऑन लाईन मध्य प्रदेश भोपाल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
 सचिव  
 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्य प्रदेश,  
 भोपाल